न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 152/2021 दायर दिनाँक 16.07.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. जयराम पुत्र नाथुराम जाति जाट निवासी जेवलिया बास, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर। 2. भू–प्रबंधक अधिकारी, डीडवाना। 3. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा डीडवाना।

सत्यमेव जयते

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव वकील वादी

दिनाँक 10.01.2022

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ग्राम जेवलिया बास का स्थायी निवासी है तथा कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है।

यह है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 3.38 हैक्टे0 वाकै सरहद जेवलिया बास पटवार क्षैत्र बरांगना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वादी के उक्त खेत खसरा सं0 109 रकबा 3.38 हैक्टे0 में से 0.15 हैक्टे0 भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी तथा नक्शे में डोट–डोट लाईन दर्ज कर दी जो नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शायी हुई है। जबकि मार्क ए बी सी डी किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर कभी नही था।

यह है कि राजस्व रेकर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती से सहवन से मार्क ए बी सी डी डोट–डोट कर गलत रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि भौतिक रूप से ऐसा कोई रास्ता मौके पर नही है तथा ना ही कभी राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। जिससे उक्त भूमि पर वादी को कृषि कार्यकरने तथा अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा इससे भविष्य में कई समस्याओं की सामना करने की आंशका है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि खसरा सं0 109 रकबा 3.38 हैक्टेयर में से 0.15 गै0मु0 रास्ता की भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी डोट–डोट लाईन से दर्शायी हुई को हटाया जाकर वादी की कृषि भूमि [illegible] में शामिल दरामद कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के [illegible] करने की कृपा करावें। इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष [illegible] प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:10:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 856 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 856 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 109 वाकै सरहद जैवलियावास में नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" में मार्क ए बी सी डी डोटेड लाईन को हटाया जाकर राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वाकै सरहद जैवालियावास के खसरा सं0 109 रकबा 3.38 में से 0.15 गै0मु0 रास्ता की भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी डोट–डोट लाईन से दर्शायी गयी है को हटाया जाकर राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **10.01.2022** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:40:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **152/2021** दायर दिनाँक **16.07.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जयराम पुत्र नाथुराम जाति जाट निवासी जेवलिया बास, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर। 2. भू–प्रबंधक अधिकारी, डीडवाना। 3. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

दिनाँक **10.01.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वाकै सरहद जैवालियावास के खसरा सं0 109 रकबा 3.38 में से 0.15 गै0मु0 रास्ता की भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी डोट–डोट लाईन से दर्शायी गयी है को हटाया जाकर राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **10.01.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:10:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner